उत्तर प्रदेश सरकार
क्षेत्रीय विकास विभाग
अनुभाग-2
विविध

संख्या 3074/54-2-1299 (74)-91 दिनांक 14 जुलाई, 1992

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग (रेखांकन) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (रेखांकन) सेवा नियमावली, 1992

भाग—एक—सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (रेखांकन) सेवा नियमावली, 1992 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (रेखांकन) सेवा एक अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह ग और समूह घ के पद समाविष्ट हैं।

3—परिभाषाएं—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में अनुरेखक के पद के सम्बन्ध में, मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक एवं अधिशासी अभियन्ता से है; मण्डल कार्यालय में अनुरेखक के पद के सम्बन्ध में, सम्बन्धित मण्डल के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता से है और नक्शा नवीस और संगणक (कम्प्यूटर) के पदों के सम्बन्ध में, मुख्य अभियन्ता से है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;

(ग) "मुख्य अभियन्ता" का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ता से है;

(घ) "अधिशासी अभियन्ता" का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता से है;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (रेखांकन) सेवा से है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—दो—संवर्ग

4—सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायँ; सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गई है :—

क्रम-संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या — स्थायी	पदों की संख्या — अस्थायी	योग
1	संगणक (कम्प्यूटर)	6	2	8
2	नक्शानवीस	31	8	39
3	अनुरेखक	25		25

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी :

(1) अनुरेखक	सीधी भर्ती द्वारा।
(2) नक्शानवीस	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त उन अनुरेखकों से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम दस वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(3) संगणक (कम्प्यूटर)	मौलिक रूप से नियुक्त उन नक्शानवीसों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम दस वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

6—आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग चार—अर्हताएं

7—राष्ट्रिकता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश—कीनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार), से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह दे दिया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

8—शैक्षिक अर्हता—(1) नक्शानवीस के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और उत्तर प्रदेश राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद से नक्शानवीसी का प्रमाण-पत्र, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र, प्राप्त किया हो।

(2) अनुरेखक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने ज्यामितीय रेखांकन विषय के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

9—अधिमानी अर्हतायें—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

10—आयु—सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

11—चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष-सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12—वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13—शारीरिक स्वस्थता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिए गए फण्डामेन्टल रूल-10 के अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार स्वस्थता-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे;

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

14—रिक्तियों का अवधारण—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेंगी। नियुक्ति प्राधिकारी उन व्यक्तियों से जिनके नाम सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हों, सीधे आवेदन-पत्र

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

18—नियुक्ति—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेते हुए जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आए हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता-क्रम में किया जाएगा, जैसी कि यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसी-उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो, तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखा जाएगा।

19—परिवीक्षा—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुज्ञा दे सकता है।

20—स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के अनुसार, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

21—ज्येष्ठता—एतद्पश्चात् तथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जाएगी।

भाग सात—वेतन इत्यादि

22—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

भी आमन्त्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सूचना-पट पर उसकी सूचना चिपकाने के अतिरिक्त, किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करेगा। ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।

15—सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) अनुरेखक और नक्शानवीस के पद पर सीधी-भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसका गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी··· अध्यक्ष।

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो···सदस्य।

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का होगा और दूसरा पिछड़े वर्ग का। यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर ऐसे उपयुक्त अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे और उपयुक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण उसके द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे···सदस्य।

(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की समीक्षा करेगी और नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में जितने वह उचित समझे, अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलाएगी।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यताक्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत) से अनधिक होगी। समिति नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगी।

16—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) नक्शानवीस और संगणक (कम्प्यूटर) के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी········अध्यक्ष।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
नामनिर्दिष्ट दो अधिकारी······सदस्य।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा।

टिप्पणी—पदोन्नति के प्रयोजन के लिए राज्य स्तर पर अनुरेखक के पद की ज्येष्ठता सूची मुख्य अभियन्ता द्वारा रखी जाएगी।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर सभी पात्र अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता-क्रम में जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाना हो, तैयार करेगी और उसको नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17—संयुक्त चयन सूची—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों ही प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों के नामों को सम्बन्धित सूचियों में से इस प्रकार से लेकर रखा जाएगा कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :

पदनाम	वेतनमान	अभ्युक्ति
1—अनुरेखक	825-15-900-द० रो०-20-1200 रुपये	उन अनुरेखकों को, जिनके पास अनुरेखण का प्रमाण-पत्र हो और जिन्होंने सात वर्ष उत्तम सेवा कर ली हो, 950-20-1150-द० रो०-25-1500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा।
2—नक्शानवीस	1200-30-1560-द० रो०-40-2040 रुपये	
3—संगणक	1400-40-1600-50-2300-द० रो०-60-2600 रुपये	

23—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फन्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जाएगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसको स्थायी भी कर दिया गया हो ;

परन्तु यदि असंतोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्तियों का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहे हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फन्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु, यदि असंतोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

24—दक्षता-रोक पार करने का मानदण्ड—किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

25—पक्ष-समर्थन—किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा।

27—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

28—व्यावृत्ति—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
(ह०) अस्पष्ट,
सचिव।

टिप्पणी—गजट दिनांक 12-9-92, भाग 1-क में प्रकाशित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू०पी०—2 सा० (क्षेत्रीय)—25-9-92—2,000 (मोनो)।